The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2005/माध 8, 1926

No. 3]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2005/MAGHA 8, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

फा. सं. ए-12022/7/2002-पीई.-I.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा (3) की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री ए. जे. सब को, एतद्द्वारा, 09-12-2004 से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 25750-650-30950 रु. के वेतनमान में उपाध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास के रूप में नियुक्त करती है।

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

F. No. A-12022/7/2002-PE.-L.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section (3) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri A. J. Rao, as Deputy Chairman, Kandla Port Trust in the pay scale of Rs. 25750-650-30950 on regular basis with effect from 09-12-2004 until further orders.

R. K. JAIN, Jt. Secy.

307 GI/2005